न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई
(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

प्रकरण (दावा)सं0––44/2025
प्रविष्टि दिनांक ––6.2.2025
उनवान

1. रामसहाय पुत्र हरिनारायण जाति जाट निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक

–वादीगण/आवेदकगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई

– प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री नरेन्द्र चौधरी –वकील वादीगण
पैरोकार सरकार– प्रतिवादीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (क), राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 बाबत प्रदान किये जाने रास्ता

निर्णय

दिनांक–07/4/25

अधिवक्ता वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 13/3 रकबा 0.6323 है0 वाके ग्राम भैरूपुरा , पटवार हल्का खिडगी, तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि मे आने जाने के लिए खसरा नंबर 88/1 जो प्रार्थी की भूमि के दक्षिण दिशा की ओर निवाई से बौली जाने वाले मुख्य डामर रोड पर स्थित है, के मध्य से खसरा नंबर 13/3 की पूर्वी मेड के सामने स्थित 88/1 से होकर दक्षिण दिशा से उत्तर अपने खेतो मे आते जाते रहे है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी वर्षो से उक्त रास्ते का उपयोग करते आ रहे है जो मोके पर चालू है। किन्तु उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व शीट मे नही होने के कारण प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नंबर 13/3 मे जाने के लिए खसरा नंबर 13/3 की पूर्वी मेड के सामने स्थित खसरा नंबर 88/1 मे स्थित उत्तर से दक्षिण का प्रार्थी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि मे जाने हेतु 30 फिट चौडा व 120 फीट लम्बाई का रास्ता राजस्व शीट मे अंकित किया जावे। प्रार्थी रास्ते की भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करने को तैयार है।

प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वे उक्त रास्ते को अवरूद्ध नही करे प्रार्थी को आने जाने मे रूकावट पैदा नही करे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी, नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 13/3 आवेदक की खातेदारी मे दर्ज है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ग्राम भैरूपुरा के आराजी खसरा नंबर 88/1 रकबा 2.4534 है0 बंजड जो सरकारी सिवायचक भूमि है, को नक्शा ट्रेस मे प्रदर्शित किया हुआ है। आवेदक की भूमि मे आने जाने के लिए अन्य कोई स्थायी व अस्थायी रास्ता नही है। आवेदक को उक्त प्रस्तावित रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। खसर नंबर 88/1 जो निवाई से बोंली रोड पक्की डामरीकृत सडक पर स्थित है। रोड सीमा छोडकर वादी को खसरा नंबर 88/1 भूमि मे खसरा नंबर 88/5 की पूर्वी मेड के दक्षिण से उत्तर की ओर 30 फिट चौडा व 120 फिट लम्बाई मे रास्ता संलग्न नक्शा ट्रेस मे प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित किये गये रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.0379 है0 (0.03 बीघा)

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिप? क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.6.2013 की अनुपालना मे रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि सिवायचक राजकीय भूमि होने के फलस्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 क उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाना नियमो मे है। डीएलसी की प्रति रिपोर्ट के संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि निर्विवाद भूमि है व किसी अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित हेतु प्रस्तावित नही है। मौके पर खाली पडी हुई है।

इसके पश्चात अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने अपने तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण पर उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास भूमि पर आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय के माध्यम से अपनी जोत मे जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है। उक्त तथ्य सुखाचार का तथ्य है और काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 क के अनुसार प्रावधान किये गये है जिसके तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के तहत नवीन मार्ग की स्वीकृति के संबंध मे आवश्यक तत्व/शर्ते निर्धारित किये गये हैः–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के कोवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और

(2) अन्य खतेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानानुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अंकित तथ्य सुखाचार के है और काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 'क' के अनुसार प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार किया जा सकता है यदि मामला पारस्पिरिक सहमति से तय नही हो तो ऐसी स्थिति मे न्यायालय द्वारा आवेदक को अन्य खातेदार की भूमि मे अधिकतम 30 फिट का रास्ता दिया जा सकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट मे अंकितानुसार भी प्रस्तावित रास्ता ही निकटमत रास्ता है इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई स्थायी या अस्थायी रास्ता नही है, अन्य रास्ते का विकल्प नही होने की स्थिति मे उक्त अधिनियम की धारा के अनुसार भी ''वैकल्पिक अभाव सिद्ध'' होता है साथ ही धारा के प्रावधानानुसार नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस के अनुसार लघुतम या निकटम रूट से होकर नया मार्ग अथवा विद्यमान मार्ग को 30 फिट की चौडाई तक विकसित के आदेश दिये जाने हेतु न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार मे दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता उक्त अधिनियम के प्रावधानो मे निहित है।

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि होने की स्थिति मे राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.6.2013 मे वर्णित निर्देशानुसार रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व निकटतम रूट आदि तथ्य प्रस्तुत प्रकरण मे साबित होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 क उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा तीस फिट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते हेतु प्रदत्त की गई भूमि राजस्व लेखो मे रास्ते के रूप मे अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

प्रस्तुत प्रकरण उक्त वर्णित निर्देशानुसार सभी शर्तो की पालना करता है। प्रार्थी द्वारा उक्त मार्ग हेतु नियमानुसार राशि जमा कराने हेतु अपनी सहमति भी अंकित की है। अतः, प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थनापत्र उक्त अधिनियम की व्याख्या के सभी बिन्दुओ धारित करता है साथ ही प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सुखाचार के सभी तथ्यो को भलीभांती साबित करता है। उक्त अधिनियम की उपधारा के अनुसार दिये गये मार्ग को राजस्व अभिलेखो मे 'रास्ता' के रूप मे अभिलिखित की जायेगी। अतः उक्त अधिनियम के तहत सुखाचार में आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

आदेश

फलस्वरूप आवेदक का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर, आवेदक को उसकी खातेदारी की भूमि ख.न. 13/1 रकबा 0.6323 है0 वाके ग्राम भैरूपुरा, पटवार हल्का खिडगी, तहसील निवाई जिला टोंक मे आने जाने के लिए सिवायचक भूमि ख.न. 88/1 (निवाई से बोंली रोड पक्की डामरीकृत सडक) वाके ग्राम भैरूपुरा, पटवार हल्का खिडगी, तहसील निवाई में से रोड सीमा छोडकर, खसरा नंवर 13/3 की पूर्वी मेड के दक्षिण से उत्तर की ओर 30 फिट चौडा व 120 फिट लम्बाई मे रास्ता संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार (रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.0379 है0 (0.03 बीघा) रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग माना जाकर, तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि, आवेदक से नियमानुसार राशि वसूली कर, जमा राजकोष करते हुए रास्ते का राजस्व रिकार्ड व नक्शा शीट मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 7/4/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई